

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जून 2017— आषाढ़ 6, शक 1939

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2017

एफ. 12-04-2016-सत्रह-मेडि-3 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)
समूह "ग" - परिचर्या सेवाएं

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)	1	प्रथम श्रेणी	पी.पी.-3 13800-30100 + ग्रेड पे 7999
2	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	7	"	पी.पी.-3 15800-39100 + ग्रेड पे 8800
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	53	द्वितीय श्रेणी	पी.पी.-3 15000-30100 + ग्रेड पे 8199
4	प्राचार्य-लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/प्राचार्य-जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	16	-तदेव-	पी.पी.-3 15600-30100 + ग्रेड पे 3800
5	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-2	51	-तदेव-	पी.पी.-3 15800-30100 + ग्रेड पे 5400
6	प्राचार्य-एल.एच.डी. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/प्राचार्य-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (22)/उप प्राचार्य-जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	35	-तदेव-	पी.पी.-2 0900-34800 + ग्रेड पे 4200

टीप :- प्रत्येक जिले हेतु एक पद जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच.एन.ओ.) (51 पद) का होगा एवं 02 पद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के नर्सिंग संभाग के लिए होंगे। संचालनालय में पदस्थ को सहायक संचालक (नर्सिंग) के पदनाम से जाना जायेगा।

"अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा (नियम- 8(1)(क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम- 8(1)(ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम- 6(1)(ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	01	-	100 प्रतिशत	-	-

2	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	-तदैव-	07	-	100 प्रतिशत	-	-
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी. एच.एन.ओ.)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	53	25 %	75 प्रतिशत	-	-
4	प्राचार्य- लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/ प्राचार्य- जी.एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	-तदैव-	16	-	100 प्रतिशत	-	-
5	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-दो	-तदैव-	51	-	100 प्रतिशत	-	-
6	प्राचार्य- एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य- महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (22)/ उप प्राचार्य- जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	-तदैव-	35	-	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची -तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

समूह "ग" परिचर्या सेवायें

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	28 वर्ष	40 वर्ष	1. नर्सिंग सेवा में दस वर्ष का अनुभव(लो.स्वा.प.क. विभाग के अधीन) 2. एम.एससी. नर्सिंग / बी.एससी. नर्सिंग के साथ अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन की उपाधि या पत्रोपाधि या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नाकोत्तर डिप्लोमा।	

अनुसूची-चार
(नियम 13 तथा 14 देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
समूह "ग" परिचर्या सेवाएँ

अनु- क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद का जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएँ, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक, नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर के लिए 1 पद)	संयुक्त संचालक, नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)	पाँच वर्ष अनुभव	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समकक्ष एक अधिकारी - सदस्य

2.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2/प्राचार्य-लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर/ प्राचार्य- जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	उपसंचालक, नर्सिंग	1. वर्तमान पद पर पाँच वर्ष अनुभव। 2. एम.एस.सी. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदर्थ
3.	प्राचार्य, एल.एच.डी. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र श्रेणी-2/उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर/ प्राचार्य-जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1. वर्तमान पद पर पाँच वर्ष अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/ बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदर्थ
4.	(क) प्राचार्य, एल.एच.डी. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (द्वितीय श्रेणी) / उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (ख) सिस्टर द्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच. एन.ओ)	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव (कालम-2 में अंकित समूह 'क' के लिए)। 2. 10 वर्ष का अनुभव (कालम-2 में अंकित समूह 'ख' के लिए)। शैक्षणिक योग्यता :- एम.एस.सी. नर्सिंग/ बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में पी.जी. डिप्लोमा	तदर्थ
5.	मेड्रन	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2	1. वर्तमान पद पर पाँच वर्ष अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/ बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी., नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदर्थ
6.	सिस्टर द्यूटर	प्राचार्य, एल.एच.डी. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, /उप प्राचार्य- जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1. वर्तमान पद पर पाँच वर्ष अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/ बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदर्थ

F 12-04/2016/17/M-3 :: In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

(See rule 5)

**Classification, Scale of pay, and Number of Posts included in the Service
Group – "C" - Nursing Services**

S. No.	Name of posts included in service	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	1	Class I	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 7600
2.	Deputy Director, Nursing (01 post for each Regional health office)	7	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 6600
3.	District Public Health Nurse Officer	53	Class - II	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01)/ Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	16	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
5.	Nursing Superintendent, Grade – II	51	-Do-	P.B.-3 15600-39100 + Grade Pay 5400
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22)/ Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	35	-Do-	P.B.-2 9300-34800 + Grade Pay 4200

Note:- One post of District Public Health Nurse officer shall be for each district (51 posts) and 2 posts shall be for Nursing Division of Directorate of Health service. Posted in directorate shall be known by the name of Assistant Director (Nursing)

SCHEDULE-II

(see rule 6)

Method of Recruitment**Group - "C" - Nursing Service**

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of Number of duty post to be filled up			Remark
				By Direct Recruitment [see rule 6 (1) (a)]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services, Class I	1	-	100%	-	-
2.	Deputy Director, Nursing (01 post of each Regional health office)	-Do-	7	-	100%	-	-
3.	District Public Health Nurse Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services, Class II	53	25%	75%	-	-
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	-Do-	16	-	100%	-	-
5.	Nursing Superintendent, Grade - II	-Do-	51	-	100%	-	-
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22) / Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	-Do-	35	-	100%	-	-

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Age and Qualification of persons for direct recruitment**Group - "C" - Nursing Services**

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Public Health Nurse Officer	28 years	40 years	1. Ten years experience in Nursing Services (Under the Public Health and Family Welfare Department) 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing with Degree or Diploma of Hospital Management and Administration or Post Graduate Diploma in Public Health Management by a regular course.	-

SCHEDULE-IV
(See rule 13 and 14)

Service experience for promotion and Members of Departmental Promotion Committee
Group - "C" - Nursing Services

S.N.	Name of The post or Service from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director, Nursing, (01 post for each regional level)	Joint Director, Nursing, Directorate Health Services	Five years experience	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services -Member 4. One officer of same status of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes - Member
2.	District Public Health Nurse Officer/ Nursing Superintendent Grade-2/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior/Principal, GNM Training Centre	Deputy Director, Nursing (Division level)	1. Five years experience on the present post 2. MSc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	----Do----

3.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal, Female Health Worker Training Centre (II Class) / Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior/ Principal, General Nursing Midwife Training Centre	1- Five years experience on the present post 2- MSc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---
4.	(a) Principal, Lady Health Visitor training Centre/ Principal, Female Health Worker Training Centre Class-II/ Vice- Principal, General Nursing Midwife Training Centre (b) Sister Tutor (Class III)	District Health Officer	Public Nurse 1-Five years experience on the present post (for category 'a' of Column No. 2) 2- 10 years experience (for category 'b' of Column No. 2) <u>Educational Qualification-</u> M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---
5.	Matron	Nursing Superintendent (Class II)	1.Five years experience on the present post 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing Post/ Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---
6.	Sister Tutor	Principal, Lady Health Visitor Training Centre /Principal, Female Health Worker Training Centre / Vice-Principal, General Nursing Midwife Training Centre	1.Five years experience on the present post 2. M.Sc. Nursing /B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---

एफ 12-04/2016/17/मेडि-3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ) तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची - एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

**“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)**

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान परिचारिका / मेडन (महिला)	303	तृतीय श्रेणी	पी.बी.-2 9300-34800 + 4200	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
2	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	720	तदैव	पी.बी.-2 9300-34800 + 3600	- तदैव -
3	नर्सिंग ब्रदर	51	तदैव	पी.बी.-2 9300-34800 + 3600	- तदैव -
4	सिस्टर शिक्षिका / सिस्टर ट्यूटर (महिला)	328	तदैव	पी.बी.-2 9300-34800 + 3600	- तदैव -
5	स्टाफ परिचारिका / स्टाफ नर्स (महिला)	10720	तदैव	पी.बी.-1 5200-20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
6	पुरुष स्टाफ नर्स	667	तदैव	पी.बी.-1 5200-20200 + 2800	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं

- टिप्पणी :- 1. परिचारिका भर्ती नियम, 1989 के प्रकाशन के पूर्व नियुक्त, महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं एवं समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित हैं।
2. सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 2-6/1/वेआप्र/96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार कॉलम (1) के अनुक्रमांक 1,2,4,5 में दर्शित पदों के कॉलम (5) में दर्शित वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से लागू माने जाएंगे।
3. शासन के परिपत्र क्र. एफ 26-6/85/17/मेडि-1 दिनांक 11 सितम्बर, 1985 के अनुसार नव नियुक्त डिप्लोमाधारी नर्सस को तीन एवं डिप्रीधारी नर्सस चार अग्रिम वेतनवृद्धि की हकदार होंगी।
4. पुरुष स्टाफ नर्स नियुक्ति केवल जिला चिकित्सालय में विशिष्ट रूप से चिन्हित क्षेत्रों (ड्रामा यूनिट, आर्थोपेडिक ऑपरेशन थियेटर, मेल आर्थोपेडिक वार्ड, मेल सर्जिकल वार्ड एवं आकस्मिक चिकित्सा इकाई संबंधित में पदस्थ किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय में कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर ही पुरुष स्टाफ नर्स पदस्थ किए जाएंगे।

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु. क.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रधान परिचारिका/मेट्रन (महिला)	303	—	100%	—	—
2	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	720	10%	90%	—	—
3	नर्सिंग ब्रदर	51	—	100%	—	—
4	सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर द्यूटर (महिला)	328	10%	90%	—	—
5	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	10720	90%	10% (विभागीय ए.एन.एम./ एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन.एम.प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	—	—
6	पुरुष स्टाफ नर्स	667	100%	—	—	—

टिप्पणी :- विभागीय ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षित उम्मीदवार (एल.एच.व्ही.) (हायर सेकेंडरी-फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयलाजी से उत्तीर्ण) को जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उम्मीदवार को स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर पदोन्नत किया जावेगा। विभागीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु इन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (सभी प्रवर्गों के लिए) होगी।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

अनु. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एससी0 नर्सिंग अथवा बी0एससी0 नर्सिंग अथवा पोस्टबेसिक बी0एससी0 नर्सिंग 2. स्टाफ परिचारिका पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव।	संचालनालय स्तर की चयन समिति 1. अपर/संयुक्त संचालक, -अध्यक्ष 2. उप संचालक (नर्सिंग) -सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी - सदस्य
2	सिस्टर शिक्षिका /सिस्टर ट्यूटर	25 वर्ष	45 वर्ष	1. एम0एससी0 नर्सिंग अथवा बी0एससी0 नर्सिंग अथवा पोस्टबेसिक बी0एससी0 नर्सिंग 2. स्टाफ परिचारिका के पद पर 5 वर्ष की सेवा का अनुभव।	-तदैव-
3	स्टाफ परिचारिका /स्टाफ नर्स (महिला)	21 वर्ष	45 वर्ष	1. बी0एससी0 (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षित। 2. 10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी)	मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित बी.एससी. नर्सिंग महाविद्यालय / जी.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट क्रमानुसार काउन्सिलिंग के पश्चात् संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में आर्बटन किया जाएगा।
4	पुरुष स्टाफ नर्स	21 वर्ष	40 वर्ष	1. बी0एससी0 (नर्सिंग) 2. 10+2 (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी)	प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुरुष स्टाफ नर्स के चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभियर्थियों की संचालनालय स्तर पर मेरिट क्रमानुसार काउन्सिलिंग के पश्चात् संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में आर्बटन किया जायेगा।

नोट :-

1. सरल क्रं 1 और 2 पर अंकित क्रमशः नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर शिक्षिका के पद, सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे।
2. शासकीय चिकित्सालयों में, शासकीय बी.एससी नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय GNM प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर सीधी भर्ती दी जाती है। यदि की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक है तो केवल बी.एससी, नर्सिंग उम्मीदवार ही भरती किए जाएंगे तथा यदि बी.एससी नर्सिंग उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो जी.एनएम उत्तीर्ण नर्सिंग उम्मीदवारों को भरती किए जाएंगे।
3. शासकीय सेवा के लिए अभ्यर्थियों को परिचारिका/प्रसविका (मिडवाइफ) में महाकौशल नर्सिंग कौंसिल से पंजीकृत होना चाहिए।

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)
पदोन्नति की प्रणाली, अनुभव, अर्हताएं और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनु. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	प्रधान परिचारिका (मेट्रन)	5 वर्ष	1. अपर/संयुक्त संचालक. - अध्यक्ष 2. उप संचालक(नर्सिंग) - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समस्तरीय अधिकारी - सदस्य
2.	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला) परिचारिका भर्ती नियम, 1989 के प्रकारान के पूर्व नियुक्त की गई महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर) जो नियुक्ति पूर्व से जी.एन.एम. प्रशिक्षित हैं तथा समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहीं हैं, भी सम्मिलित है।	नर्सिंग सिस्टर	5 वर्ष (बी.एससी. नर्सिंग योग्यताधारी के लिए) 7 वर्ष (जी.एन.एम. योग्यताधारी के लिए)	-तदेव-
3	पुरुष स्टाफ नर्स	नर्सिंग ब्रदर	10 वर्ष	-तदेव-
4.	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	सिस्टर शिक्षिका / सिस्टर ट्यूटर (महिला)	1. 5 वर्ष (एम.एससी. नर्सिंग योग्यताधारी के लिए) 7 वर्ष (बी.एससी. नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग)	-तदेव-
5	महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (लेडी हेल्थ विजिटर)/ सहायक नर्स सह प्रसाविका (एकजलरी नर्स कम मिडवाइफ)	स्टाफ परिचारिका (महिला स्टाफ नर्स)	1. 5 वर्ष 2. विभागीय नर्सिंग और प्रसाविका प्रशिक्षित 3. हायर सेकेंडरी(फिजिक्ट. केमिस्ट्री, बायलॉजी)	-तदेव-

टिप्पणी :- उपरोक्त नर्सिंग संवर्ग में चयन तथा पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेज परिचारिका/प्रसाविका (मिडवाइफ) में पंजीकृत होना चाहिए।

F 12-04/2016/17/M-3 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department (Directorate of Health Services) Class III Nurses Service Recruitment Rules, 1989, namely :-

AMENDMENTS

In the said rule, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedule shall be substituted, namely :-

``SCHEDULE-I`` (See Rules 5)

Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service

Sr. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Matron (Female)	303	Class III	PB-2 9300-34800+ 4200	Director, Health Services
2.	Nursing Sister (Female)	720	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
3.	Nursing Brother	51	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
4.	Sister Tutor (Female)	328	-Do-	PB-2 9300-34800+ 3600	-do-
5.	Staff Nurse (Female)	10720	-Do-	PB-1 5200-20200+ 2800	Regional Director, Health Services
6.	Male Staff Nurse	667	-Do-	PB-1 5200-20200+ 2800	-do-

Note-1- The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining and carrying Identical scale are also included

- 2- As per order No. F 2-6/1/PCC/96 dated 5/17 October, 2006, of General Administration Department (Pay Commission Cell) Pay scale shown in column No. (5) of post shown in Serial No. 1,2,4,5 of column No. (1) deem to be applicable w.e.f. 1-4-06.
- 2- According to Govt. circular No. F 26-6/85/17/medi-1 dated 11 September 1985 the newly appointed diploma holder nurses are entitled for advanced three increment and degree holder nurses for four advanced increment on appointment.
- 3- Male staff Nurse will be posted only in district hospital in specially identified areas (Trauma unit, Orthopaedic operation theater, Male orthopaedic ward, Male surgical ward & Emergency medical unit). Male staff Nurse will be posted only on 10 percent of the total sanctioned post in the respective district hospital.

SCHEDULE-II
(See Rules 6)
Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Post	Total No of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remark
			By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Matron (Female)	303	---	100%	---	---
2.	Nursing Sister (Female)	720	10%	90%	---	---
3.	Nursing Brother	51	---	100%	---	---
4.	Sister Tutor (Female)	328	10%	90%	---	---
5.	Staff Nurse (Female)	10720	90%	10% (Departmental Auxillary Nursing Midwife / Lady Health Visitor after General Nursing and Senior Midwife training)	---	---
6.	Staff Nurse (Male)	667	100%	---	---	---

Note - Departmental Auxillary Nursing Midwife and Lady Health Visitor trained candidates (Higher Secondary passed with Physics, Chemistry and Biology) shall be selected by the Department of Public Health and Family Welfare through limited departmental examination for training of General Nursing Midwifery. After passing the General Nursing Midwife examination the candidate shall be promoted for the vacant post of Staff Nurse. Maximum age limit for these candidates (for all categories) shall be 45 years for the Departmental General Nursing Midwife training.

SCHEDULE-III
(See Rules 8)

Age and qualification of persons to be appointed by direct recruitment

Sr. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nursing Sister (Female)	25 Years	45 Years	1. M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing 2. 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse	Directorate Level Selection Committee 1. Additional/Joint Director, - Chairman 2. Deputy Director (Nursing) - Member 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Backward classes - Member
2.	Sister Tutor	25 Years	45 Years	1. M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing or Post Basic B.Sc. Nursing 2. 5 Years Service experience on the post of Staff Nurse.	--do--

3.	Staff Nurse (Female)	21 Years	45 Years	1. B.Sc. (Nursing) or General Nursing and Senior Midwifery trained. 2. 10+2 (Physics, Chemistry and Biology)	Selection Committee Allotment shall be done by the Directorate of Health Services after Counselling of Candidates according to the merit after passing-out from B.Sc. Nursing Colleges/General Nursing Midwifery Training Schools run by the Government of Madhya Pradesh.
4.	Male Staff Nurse	21 Years	40 Years	1. B.Sc. (Nursing) 2. 10+2 (Physics, Chemistry and Biology)	The selection on the basis of merit list of the examination conducted by the Professional Examination Board for the Male Staff Nurse shall be done. Allotment of posting order shall be issued by the Directorate of Health Services purely on the basis of merit only.

Note- 1- Post of Nursing Sister and Sister Tutor mentioned on Serial No. 1 and 2 shall be filled by special departmental examination.

2- In Government Hospitals, candidate passed from Government B.Sc. Nursing College and Government General Nursing Midwifery Training Centre are given direct Recruitment to the vacant post of Staff Nurse. In case of number of trained candidates exceed the vacant seats, only the B.Sc. Nursing Candidates shall be recruited and in case if B.Sc Nursing candidates are not available General Nursing Midwife passed nursing candidates will be given recruitment.

3- For the Government services, candidate should be Registered Nurse / Registered Midwife with Mahakoshal Nursing Council.

SCHEDULE-IV
(See Rules 14)

Channel of promotion, experience, qualification and Member of Departmental Promotion Committee

Sr. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Required experience and qualification	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nursing Sister (Female)	Matron	Five Years	1. Additional/Joint Director - Chairman 2. Deputy Director(Nursing) - Member 3. One Officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes - Member
2.	Staff Nurse (Female) The post of Lady Health Visitor appointed before the publication of Recruitment Rules, 1989, General Nursing trained before joining and carrying Identical scale are also included	Nursing Sister	5 years experience (for B.Sc Nursing) and 7 years experience (for G.N.M.)	- do -
3.	Male Staff Nurse	Nursing Brother	10 years	- do -
4.	Staff Nurse(Female)	Sister Tutor	5 years experience (for M.Sc Nursing) and 7 years experience (for B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc Nursing)	- do -
5.	Lady Health Visitor/ Auxiliary Nurse Cum Midwife (2 years training passed)	Staff Nurse	1- 5 Years experience 2-Departmental Nursing and Midwife trained. 3- Higher secondary (Physics, Chemistry and Biology)	- do -

NOTE : For the recruitment and promotion in nursing cadre the candidate shall be registered Nurse / Registered Midwife with Madhya Pradesh Nurses Council.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.